(d) whether the fire accident opens up a serious situation manifesting gross violation of all norms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) According to the information furnished by the Office of the Commissioner of Industries, Delhi, eight persons died in the fire accident which occurred on 30.5.93 in the factory of M/s. N. J. Foam Private Ltd., Village Peeragarhi, Delhi.

(b) to (d) Deputy Commissioner of Delhi is conducting the inquiry as per the order by the Lt. Governor, Delhi. The inquiry is in progress and the report is awaited.

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि के उद्देश्य

1449. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्निमाण निधि के उद्देश्यों, कार्यों और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निधि के शीघ्र संचालन के लिए अन्तिम निर्णय लेने हेतु क्या कदम उठाए गए है या उठाने का विचार है,

(ग) क्या इस संबंध में अंतर-मंत्रालीय समितियां गठित की गई है और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किन-किन समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा भारतीय उद्योग के आधुनीकरण से प्रभावित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के उद्देश्य से फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है । राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संचालन के लिए अक्तूबर, 1992 में मार्गदर्शी-सिद्धांतों का अनुमोदन किया था । प्रारंभ में, केंन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दी गयी है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अनुमोदित मागदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, निधि के प्रशासन के लिए उद्योग मंत्रालय में सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है । अधिकार प्राप्त प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार है :

सचिव (औद्योगिक विकास)	अध्यक्ष
सचिव (व्यय)	सदस्य
सचिव (सरकारी उद्यम)	सदस्य
सचिव (कंपनी कार्य)	सदस्य

सचिव (श्रम)	सदस्य
सचिव (शिक्षा)	सदस्य
आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
श्रम मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला श्रम प्रतिनिधि	सदस्य
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित किया जाने वाला नियोक्ता प्रतिनिधि	सदस्य
सरकार से बाहर के दो विशिष्टि व्यक्ति जिन्हें प्रबंध, औद्योगिक अथवा श्रमिक संबधी के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव अथवा विशेषज्ञता प्राप्त हो	सदस्य
ऊपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	कार्यकारी निदेशक

मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना

1450. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, और

(घ) मध्य प्रदेश तथा अन्य पिछड़े आदिवासी तथा अविकसित राज्यों में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कौन-कौन सी नई पहल की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य औद्योगिक विकास निगम से 1990–1993 (जून, 1993 तक) के दौरान औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

प्रस्तावों की संख्या		निपटान की स्थिति
1990	3	अस्वीकृत
1991	2	1. अस्वीकृत 1. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
1992	शून्य	
1993	शून्य	

(घ) नई औद्योगिक नीति के अधीन औद्योगिक विकास करना राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रोत्साहनों इत्यादि जैसे उपाय करें।

देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए भारत सरकार की एक विकास केन्द्र योजना है। इसके अलावा पहाड़ी, दूरस्त और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढावा देने के लिए सरकार की एक परिवहन राजसहायता योजना भी है।